सं.ई-11011/1/2020-हिन्दी/ 560
भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग

कक्ष संख्या-300,
नवीन पुस्तकालय भवन,
केन्द्रीय जल आयोग,
आर के पुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांक: 24 मई, 2024

विषय: नराकास सचिवालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, दक्षिण दिल्ली-2 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की 01 अक्तूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की छमाही रिपोर्ट की समीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में।

नराकास सचिवालय, भारतीय खेल प्राधिकरण, दक्षिण दिल्ली-2 के दिनांक 20.05.2024 के पत्रांक संख्या भाखेप्रा/नराकास/3093/2024-25 द्वारा केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की 01 अक्तूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की छमाही रिपोर्ट की समीक्षा की गई और केन्द्रीय जल आयोग के हिन्दी पत्राचार एवं टिप्पणियों की प्रतिशतता के संबंध में सराहना करते हुए उत्साहवर्धन किया गया है। इसके साथ-साथ, निम्नलिखित बिंदुओं पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है:-

i. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुसार केन्द्रीय जल आयोग द्वारा हिन्दी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है। तथापि, जिन पत्रों का उत्तर दिया जाना अपेक्षित न हो, उनकी पावती हिन्दी में अवश्य भेजी जाए।
ii. 'क', 'ख' एवं 'ग' क्षेत्रों के साथ पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य क्रमश: 100%, 100%, 65% के अनुसार हिन्दी पत्राचार किया जाए।
iii. अधिक से अधिक टिप्पणियां हिन्दी में लिखी जाएं।

2. के.ज.आ. के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध है कि उक्त बिंदुओं के अनुपालन हेतु अपेक्षित आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा की गई कार्रवाई से इस अनुभाग को अवगत कराया जाए।

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक (रा.भा.)
दूरभाष: 011-29583720

सभी अनुभाग/निदेशालय, के.ज.आ.

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष,के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
2. सदस्य, नदी प्रबंध/अभिकल्प एवं अनुसंधान/जल आयोजना एवं परियोजना के निजी सचिव
3. मुख्य अभियंता, मानव संसाधन प्रबंध, के.ज.आ. के प्रधान निजी सचिव
4. सचिव, के.ज.आ. के निजी सचिव
5. निदेशक (स्थापना-III), के.ज.आ. के निजी सचिव
6. सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं सदस्य सचिव, नराकास, दक्षिणी दिल्ली-2